संख्याः 55/2016/1034/नौ-5-2016-92सा/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः मार्च, 2016

विषयः-यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत वर्तमान चरण के ट्रांजीशन फेस में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष सेन्टेज अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/1453/353/2016, दिनांक 18.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत वर्तमान चरण के ट्रांजीशन फेस में स्वीकृत 05 परियोजनाओं यथा- गाजियाबाद (सीएचए) पेयजल आपूर्ति पार्ट-1, कसया पेयजलापूर्ति, गोरखपुर पेयजलापूर्ति पार्ट-2, सुल्तानपुर पेयजलापूर्ति तथा अमेठी पेयजलापूर्ति की अनुमोदित के सापेक्ष 50 प्रतिशत सेन्टेज की धनराशि **रू0 965.43 लाख (रू0 नौ करोड़ पैंसठ लाख तैंतालिस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी तथा आहरित धनराशि को यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण एवं भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्तर्गत भेजा जाना आवश्यक है।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नगरीय निकाय/एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं लागत में 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य किये जाने संबंधी अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जाय।

(6) निर्धारित मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *"लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192 नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउनस (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 55/2016/1034(1)/नौ-5-2016-92सा/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।